Edition-1

सत्यमेव जयते

सेक्टर अधिकारी की पुस्तिका

2023

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001
"No voter to be left behind"
(This document is also available at ECI's website at https://eci.gov.in)
Document No.324.6.EPS:HB:7:2023

विषय सूची

अध्याय / प्रारंभिक

अध्याय क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय–01	परिचय	
अध्याय–02	सेक्टर (क्षेत्र) अधिकारी के कर्त्तव्य एवम् उत्तरदायित्व	
2.1	मतदान जिम्मेदारियों का अवलोकन	
2.2	मतदान पूर्व जिम्मेदारी	
2.3	मतदान दिवस की जिम्मेदारी	
2.4	मतदान पश्चात् / बाद की जिम्मेदारी	
अध्याय–03	वल्नरेबिलिटी (वल्नरेबल) मानचित्रण और महत्वपूर्ण मतदान केन्द्र	
3.1	परिचय	
3.2	कानूनी ढाँचा	
3.3	वल्नरेबिलिटी(वल्नरेबल) के मापदंड	
3.4	वल्नरेबिलिटी (वल्नरेबल) मानचित्रण अभ्यास के तीन चरण	
3.5	संवेदनशील क्षेत्रों के खंडो (भागों) / गांवों / बस्तियों की पहचान	
3.6	असुरक्षा / वल्नरेबिलिटी (वल्नरेबल) उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान	
3.7	क्षेत्र / सेक्टर अधिकारियों द्वारा चिन्हित (वल्नरेबल) संवेदनशील क्षेत्रों में आत्मविश्वास निर्माण के उपाय	
3.8	मतदान के दिन वल्नरेबल क्षेत्रों / व्यक्तियों की निगरानी।	
गतिविधि		
3.9	जवाबदेही और गोपनीयत	
3.10	संवेदनशील / महत्वपूर्ण मतदान केन्द्र	
अध्याय–04	अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाकमतपत्र के माध्यम से मतदान	
	अनुलग्नक 1 से 8 तक	

.

.

संक्षिप्ताक्षर

ए.आर.ओ (ARO)	–	सहायक रिटर्निंग अधिकारी
ए.एस.डी (ASD)	–	अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत
ए.एस.आई (ASI)	–	सहायक उपनिरीक्षक
ए.टी.आर (ATR)	–	की गयी कार्यवाही रिपोर्ट
सी.ई.ओ (CEO)	–	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
सी.ए.पी.एफ (CAPF)	–	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
डी.ई.ओ(DEO)	–	जिला निर्वाचन अधिकारी
डी.एम.(DM)	–	जिला न्यायाधीश
डी.एस.पी(DSP)	–	उप पुलिस अधीक्षक
ई.सी.आई (ECI)	–	भारत निर्वाचन आयोग
ई.पी.आई.सी (EPIC)	–	चुनावी फोटो पहचान पत्र
एल.आई.बी (LIB)	–	स्थानीय खुफिया ब्यूरो
एल.ओ.आर. (LOR)	–	कानून एवम् व्यवस्था रिपोर्ट
एल.डब्लू.ई. (LWE)	–	वामपंथी उग्रवाद
एम.सी.सी. (MCC)	–	आदर्श आचार संहिता
एन.बी.डब्लू. (NBW)	–	गैर जमानती वारंट
पी.ए.एस.ए. (PASA)	–	असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम

पी.सी.सी.पी. (PCCP)	–	गश्ती सह–संग्रह दल
पी.आई. (PI)	–	पुलिस निरीक्षक
पी.एस.(PS)	–	मतदान केन्द्र
आर.ओ. (RO)	–	रिटर्निंग अधिकारी
एस.डी.एम. (SDM)	–	अनुविभागीय दण्डाधिकारी
एस.डी.पी.ओ.एस. (SDPOS)	–	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)
एस.ओ. (SO)	–	सेक्टर अधिकारी
एस.पी. (SP)	–	पुलिस अधीक्षक
टी.डी.ओ.(TDO)	–	तालुका विकास अधिकारी
यू.टी.(UT)	–	केन्द्रशासित प्रदेश
वी.एम. (VM)	–	वल्नरेबिलिटी(वल्नरेबल) मानचित्रण

अध्याय 01

प्रस्तावना/परिचय

1.1. सेक्टर अधिकारी/क्षेत्र न्यायाधीश चुनाव प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा पीठासीन अधिकारियों/मतदान दलों, रिटर्निंग अधिकारियों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं। क्षेत्र अधिकारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक चुनाव प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र (सेक्टर) अधिकारी प्रायः 10–12 मतदान स्थल के प्रभारी होते हैं। सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों में से की जाती है। यदि आवश्यकता हो तो, केन्द्र सरकार के कर्मचारी भी तैनात किये जा सकते हैं। मतदान पूर्व, मतदान के दिन तथा मतदान पश्चात की गतिविधियों के दौरान सौंपी गयी महत्वपूर्ण भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मतदान की तारीख से 4 माह पूर्व तैनात किया जाता है।

1.2. सेक्टर/क्षेत्र अधिकारियों को 10–12 मतदान केन्द्र/स्थल को कवर करने वाले प्रबंधनीय/नियन्त्रणीय मार्ग (रूट) वाले निर्वाचन क्षेत्र/खंड का एक सेक्टर सौंपा जाता है। सेक्टरों का गठन पहले ही इस प्रकार किया जाता है कि सेक्टर अधिकारी 1 से 2 घंटे के अंदर सेक्टर के समस्त मतदान केन्द्रों/स्थानों को कवर कर सकें। मतदान केन्द्रों/स्थानों के मार्गों को सेक्टर मानचित्र पर अंकित किया जाता है तथा सेक्टर मानचित्र को निर्वाचन क्षेत्र के मानचित्र पर अंकित किया जाता है। उनकी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् सेक्टर/क्षेत्र अधिकारियों को सेक्टर मानचित्र के साथ–साथ निर्वाचन मानचित्र भी प्रदान किया जाता है।

1.3. क्षेत्र अधिकारियों को कमजोर गांवों/बस्तियों तथा मतदाताओं की पहचान करने का काम सौंपा जाता है, जिससे कि निर्धारित मानकों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जा सके कि, मतदाताओं को भयहीन तथा पक्षपातहीन मतदान करने के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके।

1.4. मतदान दिवस के 7 दिन पहले सेक्टर/क्षेत्र अधिकारी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार सौंपे जा सकते हैं। क्षेत्र अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक चप्पे–चप्पे अर्थात मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रों के अधिग्रहण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर परिचित होना आवश्यक है।

1.5. सेक्टर अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान स्वयं को उनकी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों से चिर परिचित करवाना आवश्यक है।

- पूर्व मतदान उत्तरदायित्वः– मतदान केन्द्रों के स्थान और मार्ग मानचित्र (रूट मैप्स) मतदान केन्द्र में न्यूनतम सुविधाएं, मतदान केन्द्रों का बुनियादी संरचना, मतदाताओं के बारे में जागरूकता तथा वल्नरेबिलिटी (वल्नरेबल) मानचित्रण अभ्यास आदि का सत्यापन।

- मतदान दिवस के पूर्व उत्तरदायित्वः– मतदान दल, मतदान सामग्री, सुरक्षाकर्मियों की उपलब्धता तथा आदर्श आचार संहिता के पालन की सुनिश्चितता।

- मतदान दिवस के उत्तरदायित्वः– मतदान दल की सहायता करना, ईवीएम और वीवीपीएटी आदि आवश्यक हो तो प्रतिस्थापित करना, रिटर्निंग अधिकारी को समय–समय पर विभिन्न रिपोर्ट जिसमें कुल मतदान का प्रतिशत, घटनाएँ, निर्धारित आवाजाही की योजना–अनुसार मतदान दलों को ईवीएम तथा वीवीपीएटी के साथ वापसी आदि शामिल हैं, को भेजना।

1.6. मतदाताओं को ईवीएम/वी.वी.पीएटी के बारे में जागरूक करना अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मतदाताओं को उनके ईपीआईसी कवरेज कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी देना, मतदाताओं को हेल्पलाईन नम्बरों के बारे में तथा उनके मतदान केन्द्रों जहाँ उन्हें अपना वोट देना है, के बारे में सूचित करना भी सेक्टर अधिकारियों का उत्तरदायित्व होता है। सेक्टर अधिकारियों को मतदाता/सूचनापर्ची के वितरण की जाँच/परीक्षण करना होता है तथा यदि कोई विसंगति है तो रिपोर्ट करनी होती है।

1.7. सेक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि सभी मतदान दल तथा समस्त मतदान सामग्री मतदान केन्द्रों पर सुरक्षित पहुँचे। वह गुमशुदा दल/सदस्य के बारे में आर. ओ. (रिटर्निंग अधिकारी) को तुरन्त रिपोर्ट करेंगे।

1.8. सेक्टर अधिकारी मतदान के प्रथम दो घंटों के भीतर समस्त मतदान केन्द्रों पर जाकर अपने क्षेत्राधिकार के समस्त मतदान केन्द्रों के मॉकपोल/ छद्म मतदान तथा मतदान शुरू होने की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को दें। यदि आवश्यक हो तो ईवीएम/वीवीपीएटी के प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करें।

1.9. सेक्टर अधिकारी अपने मतदान केन्द्रों के बीच लगातार दौरे पर जाते रहते हैं तथा अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध/संपर्क योग्य रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करें कि मतदान बिना किसी बाधा के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढ़ंग से संचालित हो रहा है। सेक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों/जनसंख्या में मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर पहुँचने में तथा मतदान करने में कोई बाधा न हो।

साथ ही सेक्टर अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारियों के मोबाइल नं. मतदान केन्द्र पर प्रदर्शित किये गये हों।

1.10. सेक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केन्द्रों पर तैनात मतदान कर्मी (Personnel) की देखभाल की जा रही है तथा उन्हें अनुचित रूप से प्रेषण केन्द्र पर न रोका गया हो। मतदानकर्मियों/सुरक्षा बलों की आवाजाही की निगरानी सेक्टर अधिकारी के द्वारा ध्यानपूर्वक की जाती है तथा मतदानकर्मियों की मतदान केन्द्र पर सुरक्षित आगमन की पुष्टि रिपोर्ट भेजी जाती है।

1.11. सेक्टर अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के पीठासीन अधिकारियों से यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सही ढ़ंग से पीठासीन अधिकारी की डायरी लिखी है उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि ईवीएम/वीवीपीएटी तथा सांविधिक, असांविधिक दस्तावेज पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्ति केन्द्र पर ठीक से जमा किये है।

1.12. सेक्टर अधिकारी के कार्य की समीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारियों/प्रेक्षकों द्वारा बारम्बार समीक्षा बैठकों तथा रिपोर्ट्स के माध्यम से की जाती है।

1.13. सेक्टर अधिकारी को मतदान की विस्तृत प्रक्रिया जो कि पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में वर्णित है, से स्वयं को परिचित करायें ताकि यदि मतदान के समय आवश्यक हो तो मतदान दलों को मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। सेक्टर अधिकारी, मतदान दलों को दिये जाने वाले किसी भी प्रशिक्षण को न छोड़ें तथा ईवीएम/वीवीपीएटी प्रबन्धन के प्रोटोकाल (औपचारिकता) से भी चिर–परिचित हो।

1.14. इस प्रकार सेक्टर अधिकारियों को सुचारू एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए अनेक गतिविधियों को पूर्ण करना होता है। इस पुस्तिका में सेक्टर अधिकारियों को आंवटित कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित है। यद्यपि यह संपूर्ण नहीं है, इसे आयोग के अद्यतन निर्देश के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

अध्याय – 02

सेक्टर अधिकारी के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व

2.1. संक्षिप्त विवरण– सेक्टर अधिकारी पीठासीन अधिकारी/मतदान दलों/रिटर्निंग अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के मध्य एक अनिवार्य कड़ी का कार्य करता है। उन्हें सेक्टर पुलिस अधिकारियों के साथ निम्नलिखित पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है तथा उन्हें उनके कर्त्तव्यों का पालन सुचारू रूप से करने के योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है –

- प्रत्येक मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली, बस्ती/गाँव के नाम आदि के साथ ताकि उस भाग के हर वर्ग के मतदाताओं से सम्पर्क किया जा सके।
- मतदान केन्द्र अनुसार सुनिश्चित की गयी न्यूनतम सुविधाएँ (अद्यतन की गयी)
- कुल मतदान का प्रतिशत (अंतिम दो सामान्य चुनावों में)
- मतदाता लिंग अनुपात
- एम.सी.सी. उल्लंघन के मामले
- उनके निर्दिष्ट क्षेत्र का रूटमैप (मार्ग मानचित्र), मतदान केन्द्र की स्थिति दर्शाने वाला मानचित्र
- VM- 1 डी.ई.ओ. द्वारा सृजित (Generated) रिपोर्ट (अनुलग्नक 1)।

सेक्टर अधिकारी के, मतदान पूर्व, मतदान के दौरान तथा मतदान के पश्चात् के उत्तरदायित्व।

2.2. मतदान पूर्व उत्तरदायित्व–

2.2.1. सेक्टर अधिकारी को यह सत्यापित करना होता है कि निर्दिष्ट रूट/मार्ग सुगम हैं या नहीं तथा निर्दिष्ट रूट के द्वारा मतदान केन्द्रों पर भौतिक रूप से पहुँच कर यह सुनिश्चित करना होता है कि P3 (सड़क, पुल, पुलिया) मतदान केन्द्रों सहित समस्त मतदान केन्द्रों की पहुँच सुगम्य है तथा यदि आवश्यक हो तो आर. ओ. (RO) को परिवर्तन के सुझाव दें।

2.2.2. सेक्टर अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि नए मतदान केन्द्रों का अधिसूचना के पश्चात् उनका व्यापक प्रचार–प्रसार हो। उन्हें भौतिक रूप से सत्यापन के द्वारा यह

भी पता लगाना होता है कि मतदान केन्द्रों पर आधारभूत संरचना तथा सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सेक्टर अधिकारी को अनुबंध VII में प्रस्तुत करना होगी।

2.2.3. सेक्टर अधिकारी मतदान दलों के मोबाइल नं. प्राप्त करेंगे तथा मतदान केन्द्रों पर मोबाइल से सम्पर्क (Connectivity) को सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी देखेगें कि किसी भी राजनीतिक दल/प्रत्याशी का कार्यालय मतदान केन्द्र की सीमा (परिधि) के 200 मीटर के दायरे में नहीं है।

2.2.4. सेक्टर अधिकारी सतत् निगरानी कर किसी भी अनाधिकृत रूप से अभियान गतिविधियों जैसे कि अनाधिकृत वाहनों और इमारतों का उपयोग, संपत्ति का विरूपण और एम.सी. सी. के किसी भी संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट करेंगें।

2.2.5. सेक्टर अधिकारी को मतदाताओं को ईपीआईसी (EPIC) कवरेज कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट जानकारी देनी होगी और सभी निर्धारित मतदान केन्द्रों को कवर करते हुए आधिकारिक अधिकारी क्षेत्रों (Catchment area) में मतदाताओं के लिए किए जा रहे ईवीएम प्रदर्शन के कार्यक्रम की निगरानी करनी होगी। सेक्टर अधिकारी को मतदाताओं को मतदाता सूची में स्वयं को नामांकित करने की समय सीमा के बारे में सूचित करना होगा, अपने सम्बन्धित बी.एल.ओ. के माध्यम से मतदाता सूची में उनके नाम और प्रविष्टियों की जाँच करनी होगी।

2.2.6. सेक्टर अधिकारियों को लगातार दौरे (Visits) सुनिश्चित करने होंगे और लोगों के बीच विश्वास निर्माण/बहाली के उपाय करने तथा वल्नरेबिलिटी मानचित्रण (Vulnerability mapping) को बेहतर बनाने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करके, उनके साथ व्यापक चर्चा करनी होगी। सेक्टर अधिकारी को वल्नरेबिलिटी मानचित्रण/संवेदनशीलता मापन के सम्बन्ध में नवीनतम निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्हें धमकी, अवांछित प्रभाव के प्रति संवेदनशील गांवों, बस्तियों, खंडों और मतदाताओं के वर्गों की पहचान सुनिश्चित करनी होगी। सेक्टर अधिकारी को असुरक्षा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना होगी तथा ऐसे प्रत्येक स्थल/बस्ती की जानकारी पृथक रूप से आर.ओ./डी.ई.ओ. को स्त्रोत की जानकारी का खुलासा किए बिना निर्धारित प्रारूप में, स्वयं के लिए एक प्रति रखते हुए, देना होगी।

2.2.7 सेक्टर अधिकारी को मतदान के लिए मतदाताओं की स्वतंत्र रूप से पहुंच सुनिश्चित करनी होगी तथा कमजोर (Vulnerable) समुदाय के भीतर संपर्क सूत्र स्थापित करने चाहिए, तथा सेक्टर अधिकारी ऐसे पहचान किये गये बस्तियों (Pockets) में लगातार दौरा करेंगें तथा विश्वास बहाली के उपाय के रूप में अपनी/उनकी बस्तियों में कमजोर आबादी के साथ बैठक करेंगे।

2.2.8 सेक्टर अधिकरी, जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते समय मतदान केन्द्रों के लिए एक स्केच मैप, मतदान केन्द्रों एवं चुनाव से सम्बन्धित अधिकारियों के टेलीफोन नम्बरों/मोबाइल नम्बरों तथा पुलिस स्टेशनों एवं असामाजिक तत्वों की सूची के साथ एक जोनल मजिस्ट्रेट योजना तैयार करेंगें।

2.2.9 समस्त सहायता, जिसमें वाहन, ईंधन, मोबाइल/फोन सहायता आदि, यदि आवश्यक हो, तो सेक्टर अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए प्रदान की जाती है।

2.2.10 सेक्टर अधिकारी राजनीतिक दलों तथा मीडिया कर्मियों से बातचीत करने से स्वयं को दूर रखें तथा रिटर्निंग अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी और प्रेक्षक के अतिरिक्त किसी को भी किसी प्रकार की जानकारी न दें।

2.2.11 सेक्टर अधिकारी किसी भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल से जुडे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे न ही उसका आतिथ्य स्वीकार करेंगें तथा निष्पक्ष रहकर पारदर्शिता बनाए रखेगें।

2.2.12 <u>रिजर्व ईवीएम/वीवीपीएटी सम्बन्धी –</u>

<u>रिजर्व ईवीएम तथा वीवीपीएटी का संग्रह :</u>

रिटर्निंग अधिकारी मतदान के दिन प्रतिस्थापन के किट नियंत्रण इकाइयों और वीवीपीएटी के अतिरिक्त पावर पैक और '' मॉक पोल रिप्लेस '' स्टिकर के साथ आरक्षित (रिजर्व) ईवीएम तथा वीवीपीएटी प्रदाय करते है। सेक्टर अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर निर्धारित समय पर इसे प्राप्त करने के लिए पहुंचना होगा । सेक्टर अधिकरी को ईवीएम/वीवीपीएटी प्राप्त करते समय निम्नलिखित की जांच करना होगी –

- स्टिकर ''रिजर्व'' (विधानसभा चुनावों के लिए गुलाबी और संसदीय चुनावों के लिए सफेद) मतपत्र इकाइयों, कंट्रोल इकाइयों तथा वीवीपीएटी को रखने के लिए वाहक बक्सों (Carrying cases) पर चिपके हुये होना चाहिये।
- रिजर्व बीयू, सीयू तथा वीवीपीएटी को यूनिक (विशिष्ट) ID (पहचान) प्रदाय की गयी है।

2.2.13 ईवीएम की आवाजाही के लिए जीपीएस ट्रेकिंग/मोबाइलफोन आधारित ट्रेकिंग वाले वाहनों का उपयोग :

डीईओं जीपीएस मोबाइल ऐप– आधारित ट्रैकिंग का उपयोग करके सेक्टर अधिकारियों को प्रदान किए गए वीवीपीएटी ईवीएम, जिसमें रिजर्व ईवीएम तथा वीवीपीएटी भी शामिल है, के जाने वाले सभी वाहनों की शुरू से अंत तक आवाजाही की निगरानी करता है तथा डी.ई.ओ को रिजर्व ईवीएम/वीवीपीएटी को ले जाने वाले वाहनों की पंजीयन संख्या तथा अन्य विवरण सेक्टर अधिकारी के नाम सहित जिले में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों/अभ्यार्थियों तथा प्रेक्षकों को सूचित करना होगा।

सेक्टर अधिकारी केवल डीईओ/आर ओ द्वारा उपलब्ध कराये गए निर्दिष्ट वाहनों/अन्य परिवहन का उपयोग करेंगे। सेक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें प्रदान किये गये वाहनों में जी.पी.एस ट्रैकिंग/मोबाइल ऐप आधारित ट्रैकिंग सिस्टम है और यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस अधिकारी/सुरक्षाकर्मी वाहन के साथ उपलब्ध हैं।

वाहन रवानगी पर मतदान के दिन रिजर्व ईवीएम/वीवीपीएटी वाले वाहनों के सामने (Windscreen) पर और पीछे ''ऑन ड्यूटी सेक्टर अधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट'' वाला एक स्टिकर चिपकाया जावेगा।

सेक्टर अधिकारी, अधिकृत वाहनों से ईवीएम तथा वीवीपीएटी को तब तक नहीं हटायेंगे जब तक कि चुनाव उद्देश्यों या निर्दिष्ट स्थानों पर सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक न हों ।

पी–3/पी–2/पी–1 दिवस के मामले में, सेक्टर अधिकारी को रिजर्व ईवीएम और वीवीपीएटी आरओं द्वारा निर्धारित केवल मध्यवर्ती स्ट्रांग रूम में रखना होगा।

मतदान केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं–

सेक्टर अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनानुसार सभी मतदान दल तथा चुनाव से सम्बन्धित सामग्री निर्धारित मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा बलों/सुरक्षा कर्मियों आदि के आगमन के साथ मतदान केन्द्रों पर पहुंच गये हैं। यदि मतदान दल को मतदान प्रक्रिया या ईवीएम संचालन पर कोई संदेह है तो उसे यह स्पष्ट करना होगा तथा व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर ओ.के. रिपोर्ट कंट्रोल रूम में भेजेंगे। यदि सेक्टर अधिकारी को कोई संदेह है तो उसे तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी से सम्पर्क करना होगा।
सेक्टर अधिकारी को मतदान केन्द्र स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं और सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं जैसे कि रैंप, पानी, शौचालय, टेलीफोन नं. आदि को सुनिश्चित करना होगा।

सेक्टर अधिकारी को उस मतदान केन्द्र , जहां मतदान होना है कि बुनियादी अधोसंरचना, छत, दीवारे, बिजली, फर्नीचर तथा प्रवेश/निकास आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

2.3 मतदान दिवस के उत्तरदायित्व :

2.3.1 मतदान दिवस पर रिजर्व ईवीएम और वीवीपीएटी का संचालन

सेक्टर अधिकारी द्वारा ले जाये गए रिजर्व ईवीएम/वीवीपीएटी पर उचित लेबलिंग स्टिकर 'रिजर्व' होना चाहिए तथा वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले (मॉक पोल के दौरान) प्रतिस्थापित की गयी गैर कार्यात्मक इकाई को मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी के पास नहीं होना चाहिए। इन्हें सेक्टर अधिकारी द्वारा वाहक बक्सों (कैरिंग केस) पर उचित स्टिकर 'मॉक पोल रिप्लेस' के साथ वापस ले जाना चाहिए।

जब भी मतदान केन्द्र में इकाई/इकाईयों, सी.यू तथा वीवीपीएटी का पावरपैक बदला जाना है, सेक्टर अधिकारी निर्धारित प्रारूप (अनुलग्न–II) पर हस्ताक्षर करना न भूलें।

2.3.2. आवंटित मतदान केन्द्रों का दौरा –

सेक्टर अधिकारीयों के कुछ अन्य कर्तव्य हैं –

- एस.ओ. को उस मतदान केन्द्र पर ध्यान देना होगा जहां मतदान एजेंटो की अनुपस्थिति में मॉक पोल आयोजित करना पड़ा या जहां केवल एक मतदान एजेंट उपस्थित था ।
- मतदान केन्द्र–वार वेबकास्टिंग की उचित स्थापना (Installation) एवं कार्यशीलता का प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारी को दें जहां वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।
- सुनिश्चित करें कि 4 वी.एफ.वी (मतदाता सुविधा–पोस्टर्स) निर्देशानुसार प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं और रिटर्निंग अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- मतदान के दिन लंबी कतारों की गतिशील (Dynamic) ट्रैकिंग ।
- यदि मतदान कार्मिकों को जिम्मेदारी सौपीं गयी है तो उनके पारिश्रमिक का वितरण सुनिश्चित करें।

2.3.3 एस.ओं. को मतदान प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखनी होगी तथा मतदान केन्द्रों के दौरे के दौरान मतदान के सभी पहलुओं की जांच करनी होगी और मतदान के दिन कम से कम तीन बार सभी मतदान केन्द्रों का दौरा करना होगा। कम से कम एक मतदान केन्द्र

पर एस.ओं को ईवीएम की सीलिंग और मतदान दलों द्वारा कागजात की तैयारी की जांच करनी होगी।

2.3.4 जब भी आरक्षित मतदान दलों से मतदान कर्मियों के प्रतिस्थापन के लिए एस. ओ. से कोई अनुरोध किया जाता है, तो उसे R.O. से परामर्श के बाद सुलझाना होगा और आवंटित मतदान केन्द्रों से सम्बन्धित मतदान दिवस की शिकायतों को तुरन्त निपटाना होगा।

2.3.5 ऐसे मतदान केन्द्रों, जहाँ मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के ऐजेन्ट की अनुपस्थिति में या केवल एक ही उम्मीदवार के पोलिंग ऐजेन्ट की उपस्थिति में मॉक पोल आयोजित करना पड़ा हो, पर एस.ओ. (सेक्टर अधिकारी) को बार बार जाना होगा।

2.3.6 एस ओ.को मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल की स्थिति सुनिश्चित करनी होगी और यदि कोई समस्या है तो उसे सुलझाने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करनी होगी। एस. ओ. को मतदान केन्द्र के अंदर मतदान प्रक्रिया में मतदान दल की सहायता करनी होगी यदि आवश्यक हो तो उसकी रिपोर्ट 30 मिनट के भीतर आर.ओ. को देनी होगी। S.O को सभी आवंटित मतदान केन्द्रों पर मतदान शुरू होने की रिपोर्ट आर.ओ. को अविलम्ब देनी होगी।

2.3.7 एस.ओ. को मतदान पीएटीर्न की जाँच करनी होती है और यदि विशिष्ट मतदाताओं का कोई भी समूह/वर्ग विशिष्ट रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे निदानात्मक उपायों के लिए आर. ओ. को सूचित करना होगा। एस.ओ. को यह सत्यापित करना होगा कि कमजोर बस्तियों, समुदायों के मतदाता मतदान के लिए आते हैं या नहीं, यदि नहीं तो आर.ओ./डी.ई.ओ.को सूचित करें ताकि आर.ओ. /डी.ई.ओ. को सूचित करें ताकि निर्दिष्ट दस्ता भेजा जा सके।

2.3.8 मतदान के दौरान एस.ओ. को निर्देशानुसार समय समय पर मतदान के प्रतिशत की रिपोर्ट आर.ओ. को देना होगी और मतदान के अंत में यह सुनिश्चित करना होगा कि

- पीठासीन अधिकारी की डायरी ठीक से भरी है।

- ईवीएम को ठीक से सील किया गया है।
- भरे हुए फार्म 17 C की प्रतियां मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गयी हैं। 'फार्म 17क में मतदाताओं का रजिस्टर/मतदातापंजी ठीक से भरी गयी है।
- ई.सी.आई. के नवीनतम निर्देशानुसार कोई अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट/प्रारूप।

2.3.9 ईवीएम और वीवीपीएटी के लिए प्रतिस्थापन आचरण संहिता (Protocol)

ईवीएम तथा वीवीपीएटी के काम न करने की स्थिति में निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाती है–

मॉकपोल के दौरान ईवीएम/वीवीपीएटी का कार्य न करना

- ❖ बी.यू कार्यशील नहीं हैः केवल बीयू बदलें।
- ❖ सी.यू कार्यशील नहीं हैः केवल सीयू बदलें।
- ❖ वीवीपीएटी कार्यशील नहीं हैः केवल वीवीपीएटी बदलें।

नोटः मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापित किये गये अस्वीकृत बीयू/वीवीपीएटी के वाहक बक्सों (कैरिंइग केस) पर "मॉक पोल बदला गया (Replaced) चिपकने वाला स्टिकर लगाया जावेगा तथा किसी भी प्रकार के प्रतिस्थापन में सी.यू. को बंद रखे।

वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम/वीवीपीएटी का कार्य न करना

(किसी भी प्रकार के प्रतिस्थापन से पहले सी.यू. को बंद कर दें।)

- ❖ यदि सी.यू या बी.यू. ठीक से काम नहीं करता है पूरा सेट बदले (बीयू + सीयू + वीवीपीएटी जब पूरा सेट बदल दिया जाए तो नोटा सहित चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को एक वोट देकर मॉक पोल आयोजित करें (सभी मॉक पोल

प्रक्रियाओं का पालन करें।)

- ❖ यदि वीवीपीएटी ठीक से काम नहीं करता तो केवल वीवीपीएटी को ही बदलें। इस मामले में मॉक पोल की आवश्यकता नहीं हैं।
- ❖ यदि सीयू वीवीपीएटी के लिए "low battery" दिखाता है तो वीवीपीएटी का पावर पैक बदलें।
- ❖ यदि सी.यू. , सी.यू. के लिए "low battery" दिखाता है तो सी.यू का पावर पैक बदलें।

इस उद्देश्य के लिए पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंटो और सेक्टर अधिकारी की उपस्थिति में सी.यू. के पावर पैक को बदल देगा तथा एड्रेस टेग के साथ सीयू के बैटरी अनुभाग को फिर से सील कर देगा और उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। पीठासीन अधिकारी निर्धारित प्रारूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

एस.ओ. मतदान प्रक्रिया से स्वयं को निम्नलिखित प्रकार से परिचित करायेंगे–

(ए) मॉक पोलका संचालन –

- मॉक पोल शुरू करने से पहले– बीयू , वीवीपीएटी को मतदान कोष्ठ मे तथा सीयू को पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी (प्रभारी सी.यू) बीयू की केबल को वीवीपीएटी की सी.यू से जोड़ा जाता है।
- यदि 2 या अधिक मतदान अभिकर्ता हो तो मॉक पोल निर्धारित मतदान समय से 90 मिनट पहले शुरू होता है।
- यदि एक या कोई मतदान अभिकर्ता उपलब्ध नहीं हो तो मॉक पोल शुरू करने का प्रतीक्षा समय 15 मिनट है।
- कम से कम 50 वोट डाले जाते हैं। नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार बटन के लिए वोट / मत दर्ज किये जाते है। सीयू के परिणाम को वीवीपीएटी की पर्चियों की गिनती से सत्यापित किया जाता है।

- मॉक पोल से सम्बन्धित वीवीपीएटी पर्चियों पर "मॉक पोल स्लिप" की मुहर लगाई जाती है। और उन्हें काले लिफाफे मे रखा जाता है और गुलाबी पेपर सील से सील किया जाता है।
- मॉक पोल और मॉक पोल डेटा को हटाने के पश्चात्, सीयू को परिणाम अनुभाग को हरे पेपर सील , विशेष टैग तथा एड्रैस टैग से सील कर दिया जाता है तथा वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को एड्रैस टैग से सील कर दिया जाता है।

(बी) वास्तविक मतदान की शुरूआतः

- वास्तविक मतदान अधिसूचित मतदान प्रारम्भ के समय पर शुरू होता है।
- फार्म 17A (मतदाता की पंजी) में प्रथम मतदाता के हस्ताक्षर करने से पहले, मतदान अधिकारी क्र.–1 पीठासीन अधिकारी के साथ जांच करता है और फार्म 17ए में यह दर्ज करता है कि ''नियंत्रण इकाई में कुल संख्याकी जांच की गई और शून्य पाई गई''।

(सी) मतदान का समापन :

- मतदान निर्धारित समय पर बंद कर दिया जाता है भले ही किसी अपरिहार्य कारण से मतदान तय समय से कुछ देरी से भी शुरू हुआ हो।
- यह भी ध्यान दिया जाए कि ऐसे प्रयोजन के लिए निर्धारित समय पर मतदान बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि मतदान समाप्ति के समय से पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त मतदाता अपना मत न डाल दें।
- मतदान बंद करने के लिए , पीठासीन अधिकारी, अंतिम मतदाता के मतदान करने के बाद, नियंत्रण इकाई पर 'बंद करे' बटन दबाता है। पीठासीन अधिकारियों को

फार्म 17C के भाग–I के आइटम 6 में ईवीएम में दर्ज मतों की कुल संख्या नोट करनी चाहिए।

- सी.यू. में प्रदर्शित मतदान समाप्ति की तिथि तथा समय पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी में नोट किया जाना चाहिए।
- चुनाव के लिए निर्धारित प्रपत्र सावधानी पूर्वक तथा उचित ढंग से भरे जाने के बाद, पीठासीन अधिकारी नियंत्रण इकाई को बंद कर देते है तथा समस्त इकाइयों अर्थात् बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपीएटी को पृथक कर देते है तथा एड्रेस टेग का उपयोग करते हुए सम्बंधित वाहक बक्सों (कैरिइंग केसेस) में सील करते हैं। एक साथ चुनाव के मामले में, कागजात अलग से तैयार और सील किए जाने चाहिए।
- पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीवीपीएटी से पावर पैक (बैटरी) हटाने के पश्चात ही मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीवीपीएटी के वाहक बक्सों (कैरिइंग केस) को सील करेंगे। वीवीपीएटी का हटाया गया पावर पैक (बैटरी) प्राप्ति केन्द्र पर जमा की जावेगी। इन पावर पैको को स्ट्रॉग रूम में संग्रहित नहीं किया जाएगा।
- पीठासीन अधिकारी एड्रेस टेग पर हस्ताक्षर करते हैं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त करते हैं।

(डी) मतदान दिवस पर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का प्रारूपः

भाग–1 (मॉक पॉल प्रमाण पत्र)

भाग–2 (नियंत्रण ईकाई के पावर पैक का प्रतिस्थापन):

जब भी नियंत्रण इकाई का पावर पैक प्रतिस्थापित किया जावे, तब भरा जावे।

भाग–3 (मतदान समाप्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात क्लोज बटन का दबाना)– मतदान समाप्ति के पश्चात भरा जावे।

भाग–4 (ई.व्ही.एम/व्हीव्हीपीएटी रिपोर्ट यदि मॉक पाल के दौरान प्रतिस्थापित की गई है)

भाग–5 ईवीएम/वीवीपीएटी प्रतिस्थापन रिपोर्ट यदि वास्तविक मतदान के दौरान प्रतिस्थापित किया गया है।

नोट– सेक्टर अधिकारी द्वारा अनुलग्नक–IV (पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग–4 व भाग–5) दिये गये प्रारूप में मॉक पॉल तथा वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम और वीवीपीएटी के प्रतिस्थापन पर एक रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा की जावेगी।

(ई) मतदान सम्पन्न होने के बाद पीठासीन अधिकारी की गतिविधियांः–

मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, विधिवत, भरे हुये फार्म/प्रारूप और अप्रयुक्त सामग्री सहित अन्य सामग्री को पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित पैकेटों में पैक किया जाना चाहिए। ताकि इसे बिना किसी कठिनाई और त्रुटि के प्राप्ति केन्द्र पर जमा किया जा सकेः–

I. **पहले पैकेट पर नीचे बताए अनुसार ईवीएम पेपर्स होने चाहिए तथा ' ईवीएम पेपर्स ' के रूप में अधिलिखत** (Super-Scribed) होना चाहिए ;

(i) बिना सील किया हुआ लिफाफा जिसमें मतों का लेखा –जोखा हो (फार्म –17C),

(ii) पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट –I (मॉक पोल प्रमाण पत्र) वाला बिना सीलबंद लिफाफा,

II तथा III

(iii) मॉक पोल की मुद्रित वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को काले रंग के लिफाफे में रखना चाहिए। उपरोक्त चुनाव से सम्बन्धित समस्त पत्रक / कागजात सीलबंद बड़े (Master) सफेद लिफाफे (लिफाफा नं 1/1) और मत युक्त ई.वी.एम स्ट्रांग रूम में रखा जाना चाहिए।

एक साथ चुनाव के मामले में, उपरोक्त सभी ई.वी.एम. सम्बन्धी कागजात को उनके सम्बन्धित गुलाबी/काले रंग के लिफाफे में पृथक से पैक किया जा सकता है तथा विधानसभा चुनाव की ई.वी.एम. स्ट्रांग रूम में रखी जानी चाहिए।

II दूसरे पैकेट में नीचे उल्लेखित बिना सील/सीलबंद लिफाफे होना चाहिए जिस पर 'जांच/जांच कवर' (स्क्रूटनी कवर) लिखा जाना चाहिए।

(i) बिना सील युक्त लिफाफा जिसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी

(ii) सीलबंद लिफाफा जिसमें मतदाताओं की पंजी (17अ) हो।

(iii) बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें फॉर्म 14अ में दृष्टिहीन और अशक्त मतदाताओं की सूची और साथियों की घोषणाएँ शामिल है।

(iv) आगन्तुक पत्रक (Visit sheet) वाला बिना सील वाला लिफाफा।

उपरोक्त सभी चुनाव पत्रों को बिना सील बंद सफेद रंग के मास्टर लिफाफे (लिफाफा संख्या–2/1) में रखा जाना चाहिए और जांच के लिए आवश्यक मतदान केन्द्रवार स्क्रूटनी कवर को मतयुक्त ई.वी.एम. तथा वी.वी.पीएटी वाले

मतयुक्त (Polled) ई.वी.एम. स्ट्रांग रूम के अलावा किसी अन्य स्ट्रांग रूम में अलग से संग्रहित किया जाना चाहिए।

III तीसरे पैकेट में नीचे उल्लेखित सीलबंद लिफाफे होने चाहिए उस पर 'सांविधिक कवर' लिखा होना चाहिए।

(i) सीलबंद लिफाफा जिसमें मतदाता सूची की चिन्हित प्रति हो।

(ii) सीलबंद लिफाफा जिसमें मतदाता पर्चियां हो।

(iii) सीलबंद लिफाफा जिसमें अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र हों।

(iv) सीलबंद लिफाफा जिसमें प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र हों तथा फार्म 17B में सूची शामिल हो।

(v) सीलबंद लिफाफा जिसमें फार्म 14 में अभ्याक्षेपित मतों (Challenged votes) की सूची शामिल है।

उपरोक्त सभी सांविधिक कागजात सीलबंद सफेद रंग के मास्टर लिफाफे (लिफाफा क्रं–3/1) में रखे जाने चाहिए।

एक साथ चुनाव होने की स्थिति में, विधानसभा चुनाव के लिए गुलाबी मतदाता पर्ची वाले गुलाबी लिफाफे को इस लिफाफे में रखा जाना चाहिए।

IV चतुर्थ पैकेट में निम्नलिखित लिफाफे होने चाहिए और उस पर 'असांविधिक कवर' लिखा होना चाहिए

(i) बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें मतदाता सूची की प्रति या प्रतियां(चिन्हित प्रति के अलावा) हों

(ii) बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें फार्म 10 में मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्रक तथा मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों के विवरण(Accounts)।

(iii) फार्म 12B में चुनाव ड्युटी प्रमाण पत्र युक्त बिना सीलवाला लिफाफा

(iv) बिना सीलयुक्त लिफाफा जिसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं हों।

(v) बिना सीलयुक्त लिफाफा जिसमें अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में रसीद बुक, और नकदी, यदि हो।

(vi) बिना सील किया हुआ लिफाफा जिसमें अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त सीलें और विशेष टैग हों।

(vii) बिना सील किया अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा

(viii) निर्वाचकों से उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त करने के लिए तथा उन निर्वाचकों की सूची जिन्होंने अपनी उम्र के बारे में घोषणा करने से इनकार कर दिया है– के लिए बिना सील बंद लिफाफा।

(ix) नियम 49 एम.ए. परीक्षण मत (Test vote) के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा का पत्र

(x) निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रपत्र जिसका नाम ए.एस.डी. सूची में हो।

(xi) एस.एच.ओ. पुलिस को शिकायत पत्र।

**एक साथ चुनाव के मामले में बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं हो– विधानसभा चुनाव के लिए गुलाबी रंग में इस असांविधिक कवर में पैक करने चाहिए।

उपरोक्त सभी 11 असांविधिक कागजात वाले लिफाफे पीले रंग के एक बड़े मास्टर लिफाफे (लिफाफा क्र. 4/1) में सीलबंद करके रखे जाने चाहिए।

V. पांचवे पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएँ होनी चाहिए :

(i) पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका(हैण्डबुक)

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी के निर्देश :

क. 'ई.वी.एम. और वीवीपीएटी पर वोट कैसे डाले'– पर पोस्टर

ख. ई.वी.एम. और वीवीपीएटी के उपयोग पर पीठासीन अधिकारी के लिए ब्रोशर और

ग. ई.वी.एम. वीवीपीएटी के उपयोग पर समस्या निवारण

(iii) सीलबंद लिफाफा जिसमें

ए. रिसाव या वाष्पीकरण को रोकने के लिए प्रत्येक शीशी पर स्टॉप के साथ अमिट स्याही सेट को पिघली हुई मोमबत्ती या मोम के साथ प्रभावी ढंग से सील किया गया हो।

बी. उपयोग की गयी (self- inking) स्वचलित स्याही पैड

उपरोक्त सभी पाँच वस्तुओं को सीलबंद भूरे रंग के मास्टर लिफाफे (लिफाफा संख्या 5/1) में रखा जाना चाहिए।

(vi) छठवें पैकेट में निम्नलिखित सामग्री होगी–

i. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की प्रयुक्त सूची फार्म ***7क*** में।

ii. प्रत्याशियों के हस्ताक्षर की प्रयुक्त फोटोकॉपी और

iii. अन्य प्रयुक्त प्रपत्र, इस लिफाफे का रंग नीला होना चाहिए (लिफाफा क्र. 6/1) पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर

iv. निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरो क्रास मार्क रबर स्टैम्प।

v. अमिट स्याही रखने के लिए कप ।

शेष सभी स्टेशनरी आइटम को सम्बन्धित पारदर्शी कार्ड बोर्ड/गत्ते के बाक्स में रखा जाना चाहिए और प्राप्ति केन्द्र पर जमा किया जाना चाहिए।

2.4 मतदान पश्चात की जिम्मेदारी।

2.4.1 रिजर्व तथा मॉक पॉल के दौरान अक्रियाशील ईवीएम और वीवीपीएटी को सीयू और वीवीपीएटी के बचे हुये पावरपैक के साथ जमा करना–

मतदान पूर्ण होने के तुरंत बाद मतदान के दिन ही एस.ओ को श्रेणी सी (मॉक पॉल अकार्यशील ईवीएम तथा वीवीपीएटी) तथा श्रेणी–डी (अप्रयुक्त ईवीएम तथा वीवीपीएटी्स) प्राप्ति केन्द्र या आर.ओ द्वारा अन्य स्थान पर जमा करना होगा।

पी+1 दिन की आवाजाही के मामले में एसओ को श्रेणी सी तथा डी के ईवीएम तथा वीवीपीएटी्स को आर ओ द्वारा निर्धारित मध्यवर्ती स्ट्रॉग रूम में या आरओ द्वारा निर्धारित प्राप्ति केन्द्र या अन्य स्थान में जमा करना होगा तथा निर्धारित प्रारूप (अनुबंध–5) में मतदान समाप्ति के बाद उसी दिन रिजर्व ईवीएम/वीवीपीएटी्स के जमा करते समय आरक्षित ईवीएम व वीवीपीएटी का विस्तृत विवरण जमा करना होगा। एसओ मतदान समाप्ति के पश्चात अनुलग्न 6 में मतदान केन्द्रवार रिपोर्ट जिसमें मतदान दिवस की गतिविधियों का विस्तृत विवरण हो, जमा करें।

अध्याय–3

वल्नरेबिलिटी मानचित्र और संवेदनशील मतदान केन्द्र

3.1 प्रस्तावना

चुनावों के संबंध में वल्नरेबिलिटी को किसी भी मतदाता या मतदाताओं के एक वर्ग की संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है वह भौगोलिक रूप से पहचाने जाने वाले क्षेत्र में रहता हो या नहीं, उसे डराने, धमकाने या किसी भी प्रकार की अनुचित प्रभाव या बल का उपयोग करके गलत ढंग से रोका या प्रभावित किया जाना ताकि वह अपने मताधिकार के संबंध में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान न कर सकें।

संवेदनशीलता मेपिंग, गावों/ बस्तियों/निर्वाचन क्षेत्रों के खण्डों में रहने वाले अल्पसंख्यकों या समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जो कि किसी भी धमकी, अनुचित प्रभाव, स्वतंत्र रूप से मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति संवेदनशील है की पहचान करने का एक माध्यम/तरीका है। चुनाव के संबंध में संवेदनशीलता मेपिंग (वीएम) का अभ्यास ऐसे मतदाता या मतदाताओं के वर्ग को, जो असुरक्षित होने की संभावना रखते है, व्यक्ति या अन्य कारण जो संवेदनशीलता के कारण बनते है, को स्पष्ट रूप से पहले से पहचानने के उद्देश्य से किया जाता है, और इस पहचान के आधार पर पहले से ही पर्याप्त सुधारात्मक कार्यवाही करना।

3.2 कानूनी ढाँचा

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 बी (1) जो कोई

i. किसी व्यक्ति को या अन्य किसी व्यक्ति को किसी मताधिकार का प्रयोग करने के लिये उकसाने के उद्देश्य से या ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिये किसी व्यक्ति को पारितोषिक देता है या

ii. अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिये ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिये पुरस्कार के रूप में या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिये उकसाने का प्रयास करने के लिये कोई पारितोषिक स्वीकार करता है। रिश्वतखोरी का अपराध करता है बशर्ते कि सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्यवाही का वादा उस धारा के तहत अपराध नहीं होगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 सीः—धारा 171 सी के तहत चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना एक चुनावी अपराध है। भारतीय दण्ड संहिता की तहत एक चुनावी अपराध है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 सी —कोई भी स्वेच्छिक हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास किसी के भी मताधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने का अपराध माना जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) – यह धारा

किसी भी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग करने में या उसके अभिकर्त्ता या उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने के प्रयास को एक भ्रष्ट आचरण के रूप में परिभाषित करती है।

3.3 वल्नरेबिलिटी के मापदंडः

3.3.1. प्रत्येक डी. ई ओ को अपने जिले के निर्वाचन क्षेत्र के संवेदन शील तत्वों के सम्बन्ध में वर्तमान तथा पिछले चुनाव रिकार्ड के आधार पर इनपुट (जानकारी)एकत्र करने की आवश्यकता है। वी.एम. 1 (अनुलग्नक–1 संवेदनशीलता पर इनपुट एकत्र करने के लिए मापदंडों का एक सेट प्रदान करता है। डी.ई.ओं. को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के आर. ओ. /एस. डी.एम. से कम से कम छः माह पूर्व ऐसी जानकारी एकत्र करनी चाहिए तथा तत्पश्चात अद्यतन करना जारी रखना चाहिए।

3.3.2. संवेदनशीलता मापन के लिए सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति के बाद (चुनाव में मतदान की अंतिम तारीख से 4 माह पूर्व) यह इनपुट प्रदान किया जाना चाहिए। मतदाताओं से जानकारी साझा करने के लिए सूचना के कुछ चैनल्स होने चाहिए क्योंकि वे सबसे बड़े हितधारक है। हेल्पलाइन कॉल सेटर /नियंत्रण कक्ष /सी विजिल को सक्रिय किया जाना चाहिए और पर्याप्त प्रचार भी किया जाना चाहिए। सेक्टर अधिकारी को संवेदशीलता मापन के लिए सक्षम बनाने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण सत्र (capsule)की भी व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। संवेदनशीलता मापन पर विस्तृत मापदंड नवीनतम पुस्तिका (मैनुअल) में देखे जा सकते हैं।

3.3.3.–सेक्टर अधिकारी मतदान केन्दों के दौरे के दौरान वी.एम. ,2, अनुलग्नक II, वी.एम. ,3, अनुलग्नक III मे दिये गये प्रारूप की सहायता से संवेदन शील क्षेत्रों की जाँच और निर्धारण करेगें। इस गतिविधि के पश्चात डी.ई.ओ के संवेदनशीलता मापन की पुस्तिका मे दी गयी अतिरिक्त प्रक्रिया के द्वारा संवेदनशीलता की रिपोर्ट का पुनर्सत्यापन करेंगें।

3.4 वल्नरेबिलिटी मापन (वी.एम) प्रयोग/अभ्यास के तीन चरण–

मतदान होने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बिना किसी अपवाद के संवेदनशीलता मापन का अभ्यास/प्रयोग किया जावेगा। अभ्यास / प्रयोग के तीन चरण होते हैं–

- खतरे के प्रति संवेदनशील मतदाताओं/ मतदाता खंडो **(**गांवो/बस्तियों/क्षेत्रवार **)** की पहचान जिसमें मतदाताओ को नकद/वस्तु के रूप में रिश्वत देना शामिल हैं।
- बाहुबल और धनबल का उपयोग करके ऐसी असुरक्षा या संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना।

- असुरक्षा पैदा करने वाले उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सावधानी बरतने के उपाय प्रारम्भ करना।

3.5 संवेदनशील क्षेंत्रों/खंडो/गांवो/बस्तियों की पहचानः

3.5.1 संवेदनशीलता मापन के अभ्यास के प्रथम चरण में सेक्टर अधिकारी द्वारा उसकी नियुक्ति के तुरंत बाद सेक्टर पुलिस अधिकारी के साथ विश्वास निर्माण/बहाली के उपायों हेतु तथा वी.एम अभ्यास की सूक्ष्म समझ के लिए लगातार (कम से कम तीन दौरे) करेंगे।

पुलिस स्टेशन विधानसभा क्षेत्र के एक निश्चित क्षेत्र कों कवर करता है। वी.एम के प्रयोजन के लिए जिले के एस.पी. एक पुलिसकर्मी की व्यवस्था करेंगे जो सेक्टर पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करेगा तथा सेक्टर अधिकारी के साथ रहेगा तथा संयुक्त रूप से दिये गए क्षेत्र में वी.एम का अभ्यास करेगा। सेक्टर अधिकारी पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक या हेड कान्सटेबल के पद से नीचे का नही होगा। S.O के द्वारा मतदान केन्द्रवार संवेदनशील गृह/ परिवारों की सूची एस.ओ के द्वारा अनुलग्नक–8 में उपलब्ध करायी जावेगी। उनका दौरा कार्यक्रम रिटर्निंग अधिकारी और पुलिस उपनिरीक्षक/ एस. डी.पी.ओ. द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जावेगा।

3.5.2 सेक्टर अधिकारी को अपने सेक्टर के प्रत्येक मतदान केन्द्र के क्षेत्र में प्रत्येक इलाके/बस्तियाँ (pocket) का दौरा करना चाहिए। खुफिया जानकारी एकत्र करनी चाहिए और कमजोर घरों और परिवारों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों तथा कारकों जिनसे ऐसी संवेदनशीलता वहाँ उत्पन्न होती हैं के संबंध में खूफिया जानकारी एकत्र करनी चाहिए।

इस अभ्यास को करते समय वह पिछली घटनाओं और वर्तमान आशंकाओं पर भी विचार करेंगें।

3.5.3 आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद सेक्टर ऑफिसर दौरा करेंगे तथा प्रारूप वी.एम.2 (एस.ओ) और वी.एम.3 (एस.ओ) में जानकारी तैयार करेंगे। पुलिस अधिकारी और स्थानीय नागरिक प्राधिकारी जैसे टी.डी.ओ./मामलातदार/ पुलिस निरीक्षक आदि सूची/ प्रपत्रों को अंतिम रूप देने से पहले उनसे भी परामर्श किया जावेगा।

3.5.4 वीएम–2 (एस.ओ) प्रारूप केवल एक सक्षमकर्ता के रूप में है तथा एकत्र की गयी जानकारी उस तक सीमित नहीं है। अतिरिक्त जानकारी भी जोड़ी जा सकती हैं, यदि इसका मतदान केन्द्र (PS) संवेदलशीलता पर प्रभाव हो।

3.5.5 जब सेक्टर अधिकारी इलाके का दौरा करता है तो ये प्रारूप अनिवार्य रूप से प्रत्येक इलाके/बस्तियों के लिए भरे जावें। सेक्टर अधिकारी को भरे हुए प्रारूपों की प्रतियां अपने पास रखनी होंगी तथा सभी भरे हुए प्रारूप रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की घोषणा के तीन दिन के अंदर जमा करने होंगे।

3.6 ऐसी संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान–

3.6.1 मतदाताओं/ गांवो को असुरक्षित/ संवेदनशील बनाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की पहचान करने का यह कार्य गांव/ बस्ती का नाम; संभावित उपद्रवियों के नाम पते सहित; इत्यादि को दर्शाते हुए मतदान केन्द्र–वार किया जावेगा। यदि ऐसा वांछित है तो यह कार्य सूचना देने वालो/स्त्रोत की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए किया जाना है।

3.7 सेक्टर अधिकारी द्वारा चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में विश्वास बहाली के उपाय–

- ❖ एस.ओ नियमित रूप से उन क्षेत्रों का दौरा करेगें और स्थानीय लोगों के सम्पर्क में रहेंगे।
- ❖ ऐसे क्षेत्रों में स्वीप केन्द्रित गतिविधियां और जागरूकता शिविर आयोजित किए जायेगें।
- ❖ आई टी टूल जैसे– C- VIGIL (सी विजिल) और वोटर हेल्पलाइन नं. 1950 को लोकप्रिय और प्रचारित किया जावेगा।
- ❖ ऐसे क्षेत्रों में FSTs, SSTs,VVTs द्वारा 24 घंटे निगरानी रखना होगी।

3.8 मतदान के दिन संवेदनशील क्षेत्रों/व्यक्तियों की निगरानी

यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की आवश्यकता है।

3.8.1 सेक्टर अधिकारी को मतदान केन्द्र के भीतर संवेदनशील स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए।

3.8.2 सेक्टर अधिकारी किसी अनुभाग के संवेदनशील इलाकों के असामान्य रूप से मतदान का प्रतिशत कम होने पर एक रिपोर्ट आरओ को जमा करेगें जिसका उपयोग स्क्रूटनी आदि के दौरान किया जा सकता है।

3.8.3 मतदान के दिन सेक्टर मजिस्ट्रेट और चलित बल (Mobile forces) कम से कम दो बार ऐसे गांवों/बस्तियों/आवासी क्षेत्र का दौरा करेगें जिन्हें संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है तथा जहां मतदाताओं को संभावित रूप से डराने धमकाने की खबरें है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और चलित बल इन क्षेत्रों में अपने दौरे के दौरान यह सुनिश्चित करेंगें कि जहां भी आवश्यक हो ऐसे कमजोर मतदाताओ को पर्याप्त सुरक्षा का कवर प्रदान किया जायें।

3.8.4 एफएसटी तथा चलित बल संवेदनशील स्थानों पर नजर रखेगी और नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगी। जहां भी आवश्यक हो सभी मतदाताओं को बिना किसी डर के वोट डालने के लिये स्वतंत्र और सुचारू पहुॅच सुनिश्चित करने के लिये पुलिस चौकी की स्थापना की जावेगी।

3.8.5 संवेदनशीलता मापन का कार्य निर्वाचन के 4 माह पूर्व शुरू किया जायेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि संवेदनशीलता मापन एक चुनाव पूर्व अभ्यास है। अतः सभी गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप पूरा किया जाना है।

s.no	गतिविधि	समय सीमा
1	डी.ई.ओ. द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के आर.ओ. –/एस.डी एम. से अनुबंध I के अनुसार आधारभूत जानकारी का एकत्रीकरण एवं संकलन (संग्रह)	पिछले चुनाव की मतदान की तारीख से छ महीने पहले।
2	अनुबंध I के अनुसार डी ई ओ द्वारा आधारभूत जानकारी को अद्यतन करना।	सेक्टर अधिकारी को सौंपने से पहले
3	सेक्टर अधिकारियों एवं पुलिस सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति।	पिछले चुनाव की तारीख से चार माह पहले
4	सेक्टर पुलिस अधिकारी की नियुक्ति पुलिस स्टेशन स्तरपर	पिछले चुनाव की तारीख से चार माह पहले
5	सेक्टर अधिकारियों और सेक्टर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण और डी.ई.ओ. द्वारा सेक्टर अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी जानकारी सौंपना	पिछले चुनाव की तारीख से चार माह पहले
6	ई.सी आई द्वारा राज्य का कार्यात्मक कानून तथा व्यवस्था पोर्टल बनाना	पिछले चुनाव की तारीख से चार माह पहले।
7a-	संवेदनशील क्षेत्रों /खण्डो /गांवो ऐसी संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों आदि की प्रारम्भिकरूप से चिन्हित करना तथा वी.एम. रिपोर्ट्स- निर्धारित प्रारूप में जमा करना ।	पिछले मतदान की तारीख से दो माह पूर्व।
7b-	संवेदनशील क्षेत्रों /खण्डो /गांवों ऐसी संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों आदि को अंतिम रूप से चिन्हित करना	आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी होने के बाद और गजट (राज पत्र) अधिसूचना जारी होने से पहले।
8a-	आर.ओ. द्वारा सेक्टर अधिकारियों की रिपोर्ट का संकलन और निर्धारित प्रारूप में डी. ई. ओ के समक्ष जमा करना।	चुनाव की घोषणा के 5 दिन के भीतर
8b-	डीईओ द्वारा आर. ओ. की वी.एम रिपोर्टस का संकलन और निर्धारित प्रारूप में सीईओ के समक्ष जमा करना।	चुनाव की घोषणा के 7 दिन के भीतर
9.	डी.ई.ओ द्वारा सी ई ओ को विधानसभ निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी संवेदनशील गाँव /क्षेत्र न होने का प्रमाण पत्र जमा करना	चुनाव की घोषणा के 7 दिन के भीतर
10	डीईओ की वीएम रिपोर्ट्स का संकलन करना तथा वी. एम 6 प्रारूप में (CEO) में ई सी आई को प्रस्तुत करना/जमा करना	चुनाव की घोषणा के 10 दिनों के भीतर
11	संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले उत्तरदायी व्यक्तियों	मतदान के 7 दिन पूर्व

	के खिलाफ रोकथाम /निवारक वैध कार्यवाही पूर्ण करना	
12	डी एम/एस. पी. ,एस.डी.एम. /डिप्टी एस. पी., तहसीलदार /पी आई द्वारा सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त विश्वास निर्माण /बहाली हेतु दौरों की योजना बनाकर क्रियान्वयन करना	मतदान दिवस के 2 सप्ताह पूर्व
13	सी.ए पी.एफ. द्वारा मतदान पूर्व क्षेत्र पर कब्जा	मतदान से पूर्व कम से कम 3–5 दिन पूर्व
14	प्रेक्षको, डी.ई. ओ. /आर. ओ., एस.ओ., पुलिस द्वारा वल्नरेबल क्षेत्र/व्यक्तियों की निगरानी सतर्कता के साथ सख्त निगरानी	मतदान दिवस के दिन

3.9. जवाबदेही और गोपनीयता

3.9.1.–प्रत्येक चरण पर संवेदनशीलता मापन और अनुवर्ती कार्यवाही के लिए विभिन्न सेक्टर अधिकारियों और सेक्टर पुलिस अधिकारियो की जवाबदेही को प्रत्येक मतदान केन्द्र / निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उस मामले में किसी भी पुलिस /सिविल अधिकारी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही पाए जाने पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

3.9.2. यह सलाह दी जाती है कि चुनाव के दौरान वल्नरेबिलिटी मापन, संवेदनशील क्षेत्रों, बस्तियों उपद्रवियों आदि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी या किसी भी प्रकार की प्रेस कांफ्रेस आयोजित न करें न हीं इस उदेद्श्य के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवरण निर्वाचन के दौरान सार्वजनिक डोमेन /क्षेत्रो में न दें। मैदानी अमले को इस सम्बन्ध में उचित निर्देश दिए जाएं । यदि आवश्क हो तो संवेदनशीलता के बारे मे कोई भी जानकारी मीडिया को केवल आयोग द्वारा या आयोग के निर्देश पर सम्बन्धित राज्य केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा दी जाएगी।

3.10. संवेदनशील मतदान केन्द्र–चुनाव संचालन के सभी हितधारकों के लिए एक शांतिपूर्ण तथा पारदर्शी वातावरण बनाने के लिए पर्याप्त सी. ए. पी. एफ. कर्मियों की तैनाती, वेबकास्टिंग आदि जैसी उच्च स्तरीय सुरक्षा उपायों को

सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध IV में दिये गए उद्देश्यों के लिए स्थापित मानदडों के आधार पर संवेदनशील मतदान केन्द्रो के रूप में पहचान की जाती है। एस. ओ.को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि संवेदनशीलता मापन के तहत पहचाने गए सभी मतदान केन्द्रों को संवेदनशील मतदान केन्द्रों के रूप में नामित किया गया है लेकिन इसके विपरीत नहीं।

संकेतकों के आधार पर संवेदनशील मतदान केन्द्रों के रूप में चिन्हित किये गये मतदान केन्द्रों के संदर्भ में संलग्न किये गए निम्नलिखित में से एक या अधिक उपाय किये जायेगें :–

- मतदान केन्द्रों की अधिकतम संभव सुरक्षा के लिये सी.ए.पी.एफ. की उपस्थिति।
- गैर सी.ए.पी.एफ. उपाय के रूप में मतदान केन्द्र में वीडियो कैमरा, एसएमएस/ ऐप आधारित निगरानी और वेबकास्टिंग (उनमें से कम से कम एक) की तैनाती की जायेगी। सभी संवेदनशील मतदान केन्द्रों और संवेदनशील क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर या सहायक मतदान केन्द्रों सहित कुल मतदान केन्द्रों के कम से कम 50 प्रतिशत मे जो भी अधिक हो पर वेबकास्टिंग की जायेगी।
- सूक्ष्म (माईक्रों) प्रेक्षकों की मतदान केन्द्र/मतदान केन्द्र स्थल के अंदर तैनाती।
- ईपीआईसी/अनुमोदित पहचान दस्तावेज, यदि कोई हो, उचित रूप से सत्यापित है तथा फार्म 17 ए के रिमार्क वाले कॉलम में परिलक्षित है तो पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष रूप से जानकारी दी जावेगी।

अध्याय–04

अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र द्वारा वोट डालना

4.1 चुनाव संचालन(संशोधन) नियम 2019, और चुनाव संचालन(संशोधन) नियम 2020 जो कि चुनाव आयोग के दिनांक 16 जुलाई 2020 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाये, के अनुपालन में अनुपस्थित मतदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को डाक मतपत्र (पी.बी) के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई है:

(i) वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) (एवीएससी)

(ii) बैंचमार्क/प्रामाणिक विकलांगता युक्त व्यक्ति (एवीपीडी)

(iii) कोविड–19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति (एवीसीओ)

(iv) आवश्यक सेवाओं पर तैनात मतदाता (एवीईएस)

4.2 अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के लिए आवेदन:

डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक अनुपस्थित मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुऐ फार्म 12डी में सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को आवेदन करना होगा। डाक मतपत्र सुविधा की मांग करने वाला ऐसा आवेदन चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर सम्बन्धित चुनाव की अधिसूचना की तारीख के पांच दिन बाद तक आर.ओ. के पास पहुंचना चाहिए।

4.2.2 यदि चुनाव के समय कोई निर्वाचक राज्य के भीतर कोविड–19 के कारण किसी अस्पताल में भर्ती है या कोविड–19 के कारण घर/संस्थागत संगरोध (क्वारनटाइन) में है और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार व्यक्तिगत रूप से वोट देने की स्थिति में नहीं है तथा यदि ऐसा निर्वाचक डाक मतपत्र देने का अनुरोध

करता है, तो सम्बन्धित आर.ओ., आवेदन की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने पर, निर्वाचक को डाक मतपत्र प्रदान करेगा।

4.2.3 आर.ओ. निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए निर्धारित तिथि से पहले डाक मतपत्र वितरित करने और उक्त निर्वाचन से उसे प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। यह व्यवस्था कोविड–19 के लिए, आयोग के निर्देश पर मुख्य सचिव द्वारा नामित नोडल अधिकारी के समन्वय में की जावेगी। ऐसे निर्वाचकों से डाक मतपत्र के लिए आवेदन (फार्म 12 D) के साथ सक्षम स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र/निर्देशों की प्रति संलग्न होनी चाहिए जो दर्शाती है कि आवेदक राज्य में कोविड–19 के कारण अस्पताल में भर्ती है या राज्य के भीतर (घर या संस्थागत) संगरोध में है।

4.2.4. पीडब्लूडी श्रेणी (एवीपीडी) से सम्बन्धित अनुपस्थित मतदाताओं के मामले में, जो डाक मतपत्र का विकल्प चुनते है, आवेदन(फार्म 12 डी) के साथ प्रामाणिक (बेंचमार्क) विकलांगता प्रमाण पत्र (विशिष्ट विकलांगता का 40% से कम नहीं) की एक प्रति जो कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के तहत सम्बन्धित प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

4.3 आर.ओ.द्वारा कार्यवाही –बी.एल.ओ.द्वारा फार्म 2D का विवरण –

4.3.1. बी.एल.ओ. आर.ओ द्वारा मतदान केन्द्र क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार एवीएससी, एवीपीडी तथा एवीसीओ श्रेणी के अन्तर्गत अनुपस्थित मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे।

4.3.2. बी.एल..ओ., आर.ओ. के पास निर्वाचकों से प्राप्त समस्त पावती जमा करेंगे।

4.3.3. यदि निर्वाचक उपलब्ध नहीं हो तो, बी.एल.ओ. उसके सम्पर्क का विवरण साझा करेंगे तथा अधिसूचना के दिनांक से 5 दिवस के भीतर पुनः जाकर इसको एकत्र करेंगे।

4.3.4. निर्वाचक डाकमतपत्र के लिए विकल्प चुन भी सकता है या नहीं भी। यदि वह डाकमतपत्र के लिए विकल्प देता है तो बी.एल.ओ. निर्वाचक के घर से भरा हुआ फार्म 12 D प्राप्त करेंगे तथा आर.ओ. के पास अधिसूचना के दिनांक के बाद पाँच दिनों की अवधि के भीतर तुरंत जमा करेंगे।

4.3.5 सेक्टर अधिकारी फार्म 12D का बीएलओ द्वारा वितरण तथा संग्रहण (collection) को आर. ओ. के समग्र निर्देशन/देखरेख में पर्यवेक्षण (supervise) करेंगें।

अनुबंध – 1

वी.एम–1 प्रारूप

डी.ई.ओ. द्वारा सेक्टर अधिकारी को वी.एम के अभ्यास के पूर्व

प्रत्येक एसी/सेक्टर की जानकारी उपलब्ध करायी जाना

1. ए.सी./सेक्टर में पिछले संसदीय चुनावों में पंजीकृत चुनावी अपराधों की संख्या(जहाँ आवश्यक हो विवरण दें)
2. पिछले विधानसभा चुनाव में ए.सी./सेक्टर में दर्ज पंजीकृत चुनावी अपराधों की संख्या (जहाँ आवश्यक हो विवरण दें)
3. पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में पंजीकृत चुनावी अपराधों की संख्या(जहाँ आवश्यक हो विवरण दें)
4. पिछले एक वर्ष में क्षेत्र में दर्ज किये गये गंभीर आपराधिक अपराधों , जातीय संघर्षों तथा साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या, यदि कोई हो (जहाँ आवश्यक हो विवरण दें)
5. पिछले संसदीय चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन यदि कोई हो (ब्यौरा/विवरण दे जहाँ आवश्यक हो)
6. पिछले विधानसभा चुनाव में यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हो, तो उसका विवरण दें। (यदि आवश्यक हो तो विवरण दें)
7. पिछले संसदीय चुनाव में एफ. एस. टी. एस./एस. एस. टी. एस द्वारा जब्त की गई/रोकी गई नकदी/वस्तु की घटनाओं की संख्या (जब भी आवश्यक हो विवरण दें) और पिछले संसदीय चुनाव में व्यय संवेदशील बस्तियों/क्षेत्रो का विवरण।

8. पिछले विधानसभा चुनाव में एफ. एस. टी. एस./एस. एस. टी. एस. द्वारा जब्त की गई/रोकी गई नकदी/वस्तु की घटनाओं की संख्या (जब भी आवश्यक हो विवरण दें) और पिछले विधानसभा चुनाव में व्यय संवेदशील बस्तियों/क्षेत्रो का विवरण।

9. संसद या विधानसभा के पिछले आम चुनाव या किसी उपचुनाव में पुनर्मतदान, यदि कोई हो का विवरण।

10. पिछले संसदीय/विधानसभा और स्थानीय चुनावों में निषेध कानूनों से संबंधित मामलों का विवरण।

11. वर्तमान में निर्वासन/नजरबंदी के तहत ए–सी/सेक्टर से व्यक्तियों के नाम।

12. प्रासंगिक राज्य आबकारी अधिनियम के तहत क्षेत्र में दर्ज मामलों की संख्या और महत्वपूर्ण मामलों का विवरण।

    1. पिछले संसदीय चुनाव में
    2. पिछलें विधानसभा चुनाव में
    3. पिछले एक वर्ष में

13. शस्त्रों (हथियारों) से संबंधित जानकारी

14. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मामलों का विवरण।

15. चुनाव संबंधी मामलों (प्रकरणों) में क्षेत्र में निवासरत अधिपत्रधारियों (वांरटी) की सूची।

16. उस क्षेत्र के आदतन अपराधियों की सूची (अपराध के विवरण के साथ)

17. एस–सी/सेक्टर की निर्वाचक नामावली से संबंधित मतदान पूर्व शिकायतों (यदि कोई हो) का विवरण।

18. किसी अन्य मतदान पूर्व शिकायतों का विवरण।

19. एसी से आने जाने में सामान्य से अधिक पलायन (Migration) से संबंधी जानकारी यदि कोई हो तो ।

20. पिछले संसदीय चुनावों में कुल मतदान तथा प्रतिशत एवं आवंटित मतदान केन्द्रों के कुल मतदान की जानकारी

    - पुरूष

- महिला
- कुल

21. पिछले विधानसभा चुनावों में कुल मतदान तथा प्रतिशत एवं आवंटित मतदान केन्द्रों के कुल मतदान की जानकारी

- पुरूष
- महिला
- कुल

अनुलग्नक II

वी एम–2 (एस.ओ.) :सेक्टर अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलता मापन का निर्धारण करने हेतु प्रारूप

मतदान केन्द्रवार

चुनाव व वर्ष :

एसी/पीसी का क्रमांक और नाम :– सेक्टर क्रमांक

मतदान केन्द्र और इलाके का क्रमांक व नाम :–

सूचना की तिथि

भाग–ए (A)

1.	क्या पिछले एक वर्ष के दौरान गांव/क्षेत्र में दो या दो अधिक जातियों/समुदायों/समूहों के बीच झड़पें हुई है ?(यदि हाँ तो उसका विवरण दें।)
2.	क्या गांव या क्षेत्र में कोई ऐसी घटना घटी है जो दो या दो से अधिक जातियों/समूहों/समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या राजनीतिक हाथापाई का कारण बनी हो?(यदि हाँ तो उसका विवरण दें।)
3.	क्या पिछले विधानसभा/संसदीय/स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान कोई चुनाव संबंधी अपराध या घटनाएं हुई है ?(यदि हाँ तो उसका विवरण दें।)
4.	पिछले एक वर्ष के दौरान गाँव में घटित तथा पंजीकृत अत्यंत गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, अत्याचार, दंगा तथा इसमें शामिल व्यक्ति/समूह और क्षेत्र जहां यह घटित हुआ का विवरण।
5.	पिछले एक वर्ष के दौरान निर्वासित या नजरबंद व्यक्तियों के नाम
6.	अन्य व्यक्तियों के नाम जो वर्तमान में निर्वासित या नजरबंद हैं
7.	क्या गाँव/क्षेत्र और आसपास की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए झड़प की घटनाएं घटित होने की संभावना है ?(यदि हाँ तो उसका विवरण दें।)
8.	क्या किसी जाति/समूह/परिवार को यह आंशका है कि उन्हे मत डालने/मतदान करने से रोका जाएगा (यदि हाँ तो जाति/समूह/परिवार का विवरण और किससे

	और किस प्रकार का खतरा है)
9.	क्या किसी जाति/समुदाय/समूह/परिवार की महिलाओं को डर है कि उन्हे मतदान करने से रोका जायेगा (यदि हाँ तो इस प्रकार के व्यक्ति/परिवार/समूह का विवरण और उन्हें किससे और किस कारण से भय हैं।)
10.	क्या क्षेत्र/गाँव के भीतर संपर्क के कुछ बिंदुओं की पहचान की गयी है ताकि इस तरह के घटनाक्रमों से सम्बन्धित जानकारी को लगातार ट्रेक (पता) किया जा सके। (उसका विवरण)
11.	क्या पिछले दो आम चुनावों के दौरान ग्राम/क्षेत्रों में उम्मीदवारों द्वारा नकदी, शराब, मोबाइल रिचार्ज, लंच आदि के रूप में प्रलोभन के प्रकरण सामने आये हैं। (कृपया महिलाओं, युवा मतदाताओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गके मतदाताओं के संदर्भ में जाँच करें), यदि हाँ तो उसका विवरण दें।
12.	अन्य विवरण, यदि कोई हो
13.	उन स्थानीय लोगों का विवरण जिनकी उपस्थिति में उपर्युक्त समीक्षा की गई है (उनमें से दो बुजुर्ग, दो महिलाएँ और दो युवा और अन्य लोग)

नोट : ये विवरण केवल तभी दर्ज किये जाएंगे जबकि स्त्रोत उनके विवरण का खुलासा करने के लिए तैयार हो

क्रमांक	नाम	गावं में जिस क्षेत्र के निवासी	हस्ताक्षर
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

भाग 'बी'

1. असुरक्षित घर/परिवारों की सूची

क्रमांक	मकान नं. /परिवार का नाम, घरों की पहचान के अन्य विवरण	कॉलम 2 में चिन्हित घर/परिवार में चिन्हित किये गये असुरक्षित मतदाताओं की संख्या	घर का संपर्क नं. यदि हो	कीगयी/प्रस्तावित कार्यवाही	रिमार्क
1		3	4	5	6

	2				
कुल					

2. बाहुबल/धनबल का उपयोग करके असुरक्षा के लिए उत्तरदायी

व्यक्तियों की सूची

क्रमांक	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का सम्पर्क नं./पता	संभावित क्षेत्र/गाँव/इलाका डराने धमकाने के लिए अतिसंवेदनशीील/संवेदनशील	की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
कुल					

भाग स
प्रमाणीकरण

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्र क्रमांक_____मतदान केन्द्र का नाम _____ जो कि मेरे सेक्टर में शामिल है, में कोई भी ऐसा इलाका/बस्ती (पॉकेट)/मतदाता वर्ग नहीं है, जो विधानसभा/संसदीय चुनाव 20____ की दृष्टि से संवेदनशील है, जो उस प्रारूप में शामिल होने से छूट गए हों।

सेक्टर पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर नाम – पद – टेली.नं.– सेक्टर क्रमांक – एसी क्रमांक –	सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर नाम – पद – टेली.नं.– सेक्टर क्रमांक – एसी क्रमांक –

अनुबंध–III

वी.एम.3 (एस.ओ.) – सेक्टर अधिकारी (सेक्टरवार) द्वारा मतदानकेन्द्रवार सूचीबद्ध असुरक्षित इलाकों/बस्तियों (पॉकेट्स)/मतदाता खंडो और डराने धमकाने वालों का सारांश

चुनाव और वर्ष –

एसी/पीसी का नाम –

सेक्टर का नाम –

सरल क्रमांक	विषय	कुल संख्या
1	सेक्टर अधिकारी को आवंटित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	
2	समस्त मतदान केन्द्रों को कवर करते हुए दौरे की अवधि	कब से – कब तक
3	भ्रमण के दौरान निरीक्षण केन्द्रों की कुल संख्या	
4	संवेदनशीलता (असुरक्षा) से प्रभावित मतदान केन्द्रों की संख्या	
5	समस्त मतदान केन्द्रों में असुरक्षित मतदाताओंयुक्त चिन्हित किये गये घरों की कुल संख्या	
6	समस्त मतदान केन्द्रों में चिन्हित किये गये असुरक्षित मतदाताओं की कुल संख्या	
7	समस्त मतदान केन्द्रों में चिन्हित किये गये असुरक्षा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या	

*सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर –

*सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम व मोबाइल नं. –

अनुबंध–IV

संवेदनशील मतदान केंन्द्रों की पहचान के लिए उद्देश्यपरक मानदंड

(i) मतदान केन्द्र जहाँ संवेदनशील बस्तियाँ (Pockets) है तथा मतदान केन्द्र जो चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित है।

(ii) पिछले चुनाव में मतदान केन्द्र जहां 90%से ज्यादा मतदान हुआ तथा जहां 75% से ज्यादा मत एक ही प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए।

(iii) मतदान केन्द्र जहाँ 10% से कम मतदान हुआ।

(iv) मतदान केन्द्र जहाँ पिछले 5 वर्षों में लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया के दूषित होने तथा बूथ कैप्चरिंग जैसे चुनावी अपराधों के कारण पुनर्मतदान अयोजित किया गया।

(v) मतदान केन्द्र जहाँ पिछले पांच वर्ष में लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी चुनाव के दौरान मतदान के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई।

(vi) ऐसे मतदान केन्द्र, जिनका अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत(ए.एस.डी.) मतदाताओं के मतदान का प्रतिशत उस निर्वाचन क्षेत्र के औसत प्रतिशत से अधिक है।

(संदर्भ– निर्वाचन क्षेत्र में ASD मतदाताओं का औसत प्रतिशत= निर्वाचन क्षेत्र में ASDमतदाताओं की कुल संख्या/मतदान केन्द्रों की कुछ संख्या)

(vii) किसी विशेष क्षेत्र में असामान्य कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी।

अनुबंध–V

प्रमाण पत्र
सेक्टर अधिकारियों/जोनल मजिस्ट्रेट आदि

अ. चुनाव का नाम–

ब. संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक व नाम

स. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक व नाम

(संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मामले में मतदान केन्द्र की ओर प्रस्थान करने के समय भरा जाये)

ए. सेक्टर अधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट का नाम

बी. प्रकोष्ठ क्रं.

सी. आवंटित मतदान केन्द्रों की संख्या

डी. रिजर्व/आरक्षित ईवीएम/वीवीपीएटी को प्राप्त करने की तिथि तथा समय

ई. प्रदान की गई रिजर्व/आरक्षित ईवीएम/वीवीपीएटी का विवरण

सरल क्रं	बीयू की यूनिक आई डी.	सीयू सी यूनिक आई डी.	वीवीपीएटी की यूनिक आई डी.

मतदान के दिन भरा जाए–

ए.) मतदान के दिन मॉक पॉल के समय–

सरल क्रं	मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम	मतदान केन्द्र पर प्रतिस्थापित की गयी इकाइयों की यूनिक आई.डी.			मतदान केन्द्र को प्रदत्त की गयी इकाइयों की यूनिक आई.डी.			पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
		बीयू की यूनिक आई.डी	सीयू सी यूनिक आई डी.	वीवीपीएटी की यूनिक आई डी.	बीयू की यूनिक आई. डी	सीयू की यूनिक आई डी.	वीवीपीएटी की यूनिक आई डी.	

ब.) वास्तविक मतदान के समय मतदान के दिन–

सरल क्रं	मतदान केन्द्र के नाम तथा क्रमांक	मतदान केन्द्र पर प्रतिस्थापित की गयी इकाइयों की यूनिक आई.डी.			मतदान केन्द्र को प्रदत्त की गयी इकाइयों की यूनिक आई.डी.			पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
		बीयू की यूनिक आई.डी	सीयू की यूनिक आई डी.	वीवीपीएटी की यूनिक आई डी.	बीयू की यूनिक आई. डी	सीयू की यूनिक आई डी.	वीवीपीएटी की यूनिक आई डी.	

स.) संग्रहण केन्द्र पर ई.वी.एम. तथा वीवीपीएटी के जमा करने के समय–

i) रिजर्व ईवीएम /वीवीपीएटी के जमा करने का दिनांक व समय.....

ii) संग्रहण केन्द्र पर जमा की गयी अनुपयोगी/अकार्यशील अनुपयोगी ई.वी.एम. तथा वीवीपीएटी का विवरण

सरल क्र.	बीयू की यूनिक आई. डी.	सीयू की यूनिक आई.डी.	वीवीपीएटी की यूनिक आई.डी

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जाानकारी सत्य है।

हस्ताक्षर
सेक्टर अधिकारी का नाम
पद–

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अनुपयोगी/अकार्यशील अनुपयोगी ईवीएम तथा वीवीपीएटी जैसे कि सेक्टर अधिकारी(नाम) द्वारा ऊपर उल्लेखित है, प्राप्त की।

हस्ताक्षर

सेक्टर अधिकारी की रिपोर्ट का प्रारूप (मतदान के दिन)

अनुबंध–VI

एसी का नाम व क्रमांक रूट क्रं.

सेक्टर अधिकारी का नाम

प्रत्याशियों की संख्या

1	मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
2	केन्द्रीय बल तैनात हाँ/नहीं
3	सूक्ष्म प्रेक्षक तैनात हाँ/नहीं
4	वीडियो कैमरा तैनात हाँ/नहीं
5	कुल मतदाता
6	क्या मॉक पोल किया गया हाँ/नहीं
7	उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या
8	उन पार्टी प्रत्याशियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नहीं किया गया है।
9	प्रथम दौरे/भ्रमण पर डाले गये मत (समय का उल्लेख करें)
10	द्वितीय दौरे/भ्रमण पर डाले गये मत (समय का उल्लेख करें)
11	तृतीय दौरे/भ्रमण पर डाले गये मत (समय का उल्लेख करें)
12	क्या कमजोर/असुरक्षित मतदाताओं की पहचान की गयी है यदि हां तो वें मतदान के लिए कब ले जाये गये।
13	क्या मतदान, बंद होने के समय के बाद भी जारी रहा हाँ/नहीं
14	शाम 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या
15	मतदान समाप्ति पर, डाले गये मतों की कुल संख्या
16	मतदान का प्रतिशत
17	क्या मशीनें ठीक से बंद और सील की गयीं हाँ/नहीं
18	क्या पीठासीन अधिकारी द्वारा फार्म 17 Cकी प्रति मतदान अभिकर्ता को दी गयी (हाँ/नहीं)
19	क्या पीठासीन अधिकारी की डायरी, 17A तथा 17C की जाँच तथा मिलान किया गया? हाँ/नहीं
20	मतदान दिवस पर प्राप्त शिकायतें।
21	प्रत्येक शिकायत का स्त्रोत, उसकी प्रकृति और अनुवर्ती कार्यवाही।
22	क्या पुनर्मतदान की अनुशंसा की गयी? हाँ/नहीं
23	क्या मशीन एवं सांविधिक कागजात स्ट्रांग रूम में जमा किये गए? हाँ/नहीं
24	क्या वेबकास्टिंग की गयी? हाँ/नहीं
	सेक्टर अधिकारी द्वारा सेक्टर में विभिन्न चक्रों (Rounds) की रिपोर्ट का प्रारूप

सेक्टर अधिकारी की पुस्तिका

अनुबंध–VII

सेक्टर का नाम व क्रं.						सेक्टर अधिकारी का नाम							
अधोसंरचना (हाँ/नहीं/रिपोर्ट)													
सरल क्रं.	दौरे किये गये मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक	रैम्प	पहुँच मार्ग / सड़क	पानी	शेड	पृथक वाशरूम	पावर कनेक्शन + प्लग पाइंट्स	फर्नीचर	भूतल पर मतदान केन्द्र	कुल मत	क्या राउण्ड–I में बी एल ओ आपके साथ चले हाँ/नहीं	संवेदन शीलता मापन	अवलोकन मतदान केन्द्र/गाँव/ क्षेत्राधिकार में कोई विशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
रिमार्क–											सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर		
											: भ्रमण/दौरे का दिनांक		

अनुबंध VIII

असुरक्षित/कमजोर/संवेदनशील परिवारों/घरों की सूची

सं क्र	मकान न./परिवार का नाम इलाके के उन घरों का/परिवारों की पहचान का विवरण जिनके मतदाता कमजोर/असुरक्षित है।	कॉलम 2 में उन मतदाओं की संख्या जिन्हेंघर/परिवार में कमजोर/असुरक्षित के रूप में चिन्हित किया गया है।	घर परिवार का सम्पर्क नम्बर (यदि कोई)	की गयी कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही	रिमार्क्स
1	2	3	4	5	6
कुल					

ए. मतदाताओं को डराने/अनुचित तरीके से प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की सूची जिनकों ट्रेक (पता) किया जाना है/प्रभावित करने से रोका जाना है।

स. क्र.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का सम्पर्क नम्बर/पता	प्रस्तावित/की गयी कार्यवाही	रिमार्क्स
1	2	3	4	5
कुल				